न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 278/2022

अनवान : –

1. सोना पुत्री जीवणराम पत्नी छोटूराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर हाल फेफाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम

1. किशनाराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. पुराराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. रामस्वरूप पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. दानाराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. अनुराम पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
8. खेताराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
9. जगदीश पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
10. फुलाराम पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
11. बेगाराम पुत्र तिलोकाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
12. बिशनाराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
13. मंगलाराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
14. रूघाराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
15. रामकुमार पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
16. श्रवणराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
17. संवताराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
18. हनुमान पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादीया**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 16/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 36/33 की कुल 7.7930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 200/193 की कुल 19.5870 हैक्ट भूमि वादीया व प्रवितादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राज़स्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है। रोही मौजा खुईया तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 के खाता सं. 36/33 के ख.न. 518/2 की 4.4150 हैक्टर भूमि ख.न. 573 की 1.354 हैक्टर ख.न. 599/1 की 2.0240 हैक्टर कुल तादादी 7.7930 हैक्टर भूमि है जिसमें वादिया का 1/7 हिस्सा, तथा प्रतिव[illegible] 1 ता 6 का प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा, दर्ज है तथा रोही मौजा खु[illegible] सम्बत 2071–2074 के खाता सं. 200/193 के ख.न. 235 की 4.6050 हैक्टर ख.न. 259 की 4.2250 है[illegible] ख.न. 68 की 4.8700 हैक्टर ख.न. 69 की 5.8820 हैक्टर कुल तादादी 19.5820 हैक्टर भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं. 7 अनुराम का 1/25 हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 खेताराम का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:57:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जगदीश का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 फुलाराम का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 बेगराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का बिशनाराम का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी सं. 13 का 1/20 हिस्सा मंगलाराम, प्रतिवादी सं. 14 का रूधाराम का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15 रामकुमार का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 श्रवणराम का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 सांवताराम का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 हनुमान का 1/25 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैइसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि वादिया की दादालाई थी जिसका पिता की मृत्यु के पश्चात विरास्तन सात वारिसान के नाम दर्ज हुई खाता सं. 36 की 7.7930 हैक्टर भूमि तथा खाता सं. 200 में 3.9164 हैक्टर कुल तादादी 11.7094 हैक्टर भूमि थी जिसमें वादिया कां 1/7 हिस्सा अर्थात 1.67277 हैक्टर भूमि थी किन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने पारावारिक बंटवारा करके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के ख. न. 599/1 की 2.024 हेक्टर भूमि टिब्बो की दे दी जो वादिया लगातार निर्वधन रूप से काश्त करती चली आ रही है अत न्ययालय से घोषणा करापाने की अधि कारी है कि वादिया रोही मौजा खुईया तहसील नोहर की जमाबनदी के खाता सं. 36 में दर्ज ख.न. 599/1 की 2.024 हैक्टर भूमि की वादिया खातेदार काश्तकार है का खाता व लगान अलग किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 36/33 की कुल 7.7930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 200/193 की कुल 19.5870 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादग्रस्त भूमि का कोई बाहमी बंटवारा नही हुआ है सभी खातों की भूमि का मुताबिक हक हिस्सा के खाता व लगान को अलग किया जावे। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 36/33 की कुल 7.7930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 200/193 की कुल 19.5870 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग [illegible] किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:57:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1. अनुराम , जगदीश , फुलाराम , रामकुमार , हनुमान पि. दुरजाराम जाति नायक सा. खुईया ब.हि.ब. (प्रतिवादी स. 7, 9, 10, 15, 18) – ख. न. 235/2 , 259/2 , 68/2 योग 3.9164 हैक्ट.
2. खेताराम , श्रवणराम पि. मोटाराम जाति नायक सा. खुईया ब.हि.ब. (प्रतिवादी स. 8, 16) – ख. न. 235/3 की 0.9210 हैक्ट, 259/3 की 0.8450 हैक्ट, 68/3 की 0.5692 हैक्ट, 69/3 की 1.5812 हैक्ट योग 3.9164 हैक्ट
3. बेगाराम पुत्र तिलोकाराम जाति नायक सा. खुईया प्रतिवादी सं० 11 – ख. न० 235/4 की 0.9210 हैक्ट, 259/4 की 0.8450 हैक्ट, 69/4 की 2.1504 – 3.9164 हैक्ट.
4. बिशना राम , मगला राम , रुघाराम , सांवताराम पि. जैसाराम जाति नायक सा. खुईयां ब. हि. ब. 235/5 की 0.9210, 259/5 की 0.8450, 69/5 की 2.1504 योग = 3.9164 हैक्ट.
5. किशनाराम , ओमप्रकाश , देवीलाल , पुराराम, रामस्वरूप, दानाराम पि. जीवनाराम जाति. नायक सा. खुईयां ब. हि. ब. ख. न. – 235/1 की 0.7894, 259/1 की 0.7242, 68/1 की 1.8432 की 518/2 की 3.7843, 599/1 की 1.7348, 573/1 की 1.1605 योग 10.0364 हैक्ट.
6. सोना पुत्री जीवनाराम पत्नि छोटूराम जाति नायक सा. खुईयां हाल ग्राम फेफाना – ख. न. 235/6 की 0.1316, 259/6 की 0.1208, 68/6 की 0.3072, 518/3 की 0.6307, 599/2 की 0.2892, 573/2 की 0.1935 योग = 1.6730 हैक्ट.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:57:15 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 278/2022
अनवान : –

1. सोना पुत्री जीवणराम पत्नी छोटूराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर हाल फेफाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम

1. किशनाराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. पुराराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. रामस्वरूप पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. दानाराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. अनुराम पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
8. खेताराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
9. जगदीश पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
10. फुलाराम पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
11. बेगाराम पुत्र तिलोकाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
12. बिशनाराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
13. मंगलाराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
14. रूघाराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
15. रामकुमार पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
16. श्रवणराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
17. संवताराम पुत्र जैसाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
18. हनुमान पुत्र दुरजाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 278 सन 2022 निर्णय दिनांक 16/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 36/33 की कुल 7.7930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 200/193 की कुल 19.5870 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. अनुराम , जगदीश , फुलाराम , रामकुमार , हनुमान पि. दुरजाराम जाति नायक सा. खुईया ब.हि.ब. (प्रतिवादी स. 7, 9, 10, 15, 18) – ख. न. 235/2 , 259/2 , 68/2 योग 3.9164 हैक्ट.
2. खेताराम , श्रवणराम पि. मोटाराम जाति नायक सा. खुईया ब.हि.ब. (प्रतिवादी स. 8, 16) – ख. न. 235/3 की 0.9210 हैक्ट, 259/3 की 0.8450 हैक्ट, 68/3 की 0.5692 हैक्ट, 69/3 की 1.5812 हैक्ट योग 3.9164 हैक्ट
3. बेगाराम पुत्र तिलोकाराम जाति नायक सा. खुईया प्रतिवादी सं० 11 – ख. न० 235/4 की 0.9210 हैक्ट, 259/4 की 0.8450 हैक्ट, 69/4 की 2.1504 – 3.9164 हैक्ट.
4. बिशना राम , मगला राम , रुघाराम , सांवताराम पि. जैसाराम जाति नायक सा. खुईयां ब. हि. ब. 235/5 की 0.9210, 259/5 की 0.8450, 69/5 की 2.1504 योग = 3.9164 हैक्ट.
5. किशनाराम , ओमप्रकाश , देवीलाल , पुराराम, रामस्वरूप, दानाराम पि. जीवनाराम जाति. नायक सा. खुईयां ब. हि. ब. ख. न. – 235/1 की 0.7894, 259/1 की 0.7242, 68/1 की 1.8432 की 518/2 की 3.7843, 599/1 की 1.7348, 573/1 की 1.1605 योग 10.0364 हैक्ट.
6. सोना पुत्री जीवनाराम पत्नि छोटूराम जाति नायक सा. खुईयां हाल ग्राम फेफाना – ख. न. 235/6 की 0.1316, 259/6 की 0.1208, 68/6 की 0.3072, 518/3 की 0.6307, 599/2 की 0.2892, 573/2 की 0.1935 योग = 1.6730 हैक्ट.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि [illegible] बैंक से रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए [illegible] अनुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव [illegible] अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:57:15 IST
Reason: SelfAttested

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 16/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर